

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17/

जयपुर, दिनांक

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)

मुख्यालय।

समस्त उप निदेशक, मबावि

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषय:- निर्णीत न्यायिक प्रकरणों में पालना/अपील की सूचना लाईट्स साफ्टवेयर में इन्द्राज कराने बाबत।

सन्दर्भ:- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 25.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागीय न्यायिक प्रकरणों (विरुद्ध) में निर्णय सरकार के विपक्ष में हुआ है उन प्रकरणों में पालना/अपील की सूचना संबंधित प्रभारी अधिकारी न्याय विभाग की वेबसाइट लाईट्स पर अपडेशन की कार्यवाही कराने के साथ-साथ विधि प्रशाखा को अवगत करावे।

उक्त निर्देशों का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

-sd-

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

96238 राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17/

जयपुर, दिनांक 30.5.18

प्रतिलिपि

1. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं उप शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

✓ हस्ताक्षर कम प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु उचित है।

अति. निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर